राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 358 दिनांक : 31/10/12

कार्यालय आदेश

मण्डल में अधिकारियों/कार्मिकों को कम्प्यूटर की बैसिक ट्रेनिंग करवाये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इस हेतु समस्त राजस्थान के RS-CIT केन्द्रों को मण्डल की ओर से मान्यता प्रदान की जाती है।

RS-CIT केन्द्रों से ट्रेनिंग लेकर पास करने के पश्चात् कार्मिकों को मण्डल द्वारा अधिकारी/कर्मचारी स्वयं के द्वारा चुकाई गई फीस का पुनःभरण किया जावेगा।

उपरोक्त कम्प्यूटर कोर्स कार्यालय समय के पश्चात्/पूर्व ही किया जा सकेगा। समस्त उप आवासन आयुक्तों/आवासीय अभियंताओं को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिमाह कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में इसकी सूचना भिजवाई जावे की कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ट्रैनिग ली जा रही है व पूर्ण होने की भी सूचना भिजवावे। मुख्यालय में कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी को सूचना देकर उक्त ट्रेनिंग ज्वाईन कर सकते है।.'

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल का अनुमोदन प्राप्त है।

Sd

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, राज.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आ.मण्डल,जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता..राज.आ.मण्डल,............................. ।
4. लेखाधिकारी, भुगतान/वित्त/पी.एफ/पेंशन/एसीआर/गोपनीय प्रकोष्ठ/राज.आ.मं, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त...राज.आ.मण्डल, ... ।
6. आवासीय अभियंता, ...राज.आ.मण्डल................................ ।
7. रक्षित पत्रावली।

सचिव